न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या : 12/31/2024 जीसीएमएस नं0 2024/44

दर्ज दिनांक : 12/06/2024 निर्णय दिनांक : 09/04/2026

सरकार जयें प्रवर्तन निरीक्षक जिला खैरथल–तिजारा

प्रार्थी

बनाम

सौरभ मिश्रा पुत्र भरत मिश्रा जाति ब्राह्मण, निवासी मनसापुर पुलिस थाना लोकी जिला मधुबनी बिहार हाल निवासी सतीश कॉलोनी सांथलका (निधि बर्तन भण्डार भिवाड़ी) तहसील टपूकड़ा जिला खैरथल–तिजारा (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत–आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) सहपठित एल.पी.जी. (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000

उपस्थितिः

1– विभागीय प्रतिनिधि – उपस्थित

2– गैरसरायत/अप्रार्थी –अनुपस्थित

निर्णय

प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर द्वारा दिनांक 16-03-2020 को शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर जांच की गई। शिकायत में वर्णित था कि भिवाड़ी स्थित निधि बर्तन भण्डार में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं रिफिलिंग की जा रही है। जांच के दौरान मौके पर सौरभ मिश्रा पुत्र श्री भरत मिश्रा उपस्थित मिला। मौके पर विभिन्न कम्पनियों के गैस सिलेण्डर तथा गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त मशीनें पाई गईं। जांच में कुल 40 कमर्शियल सिलेण्डर, 17 घरेलू सिलेण्डर तथा 2 गैस भरने की मशीनें बरामद/जप्त की गईं।

मौके पर सौरभ मिश्रा के कथन लिए गए, जिनमें उसके द्वारा निधि बर्तन भण्डार की दुकान पर घरेलू एवं छोटे पेट्रोलियम गैस सिलेण्डरों का क्रय–विक्रय तथा गैस भरने का कार्य किया जाना स्वीकार किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि उक्त भण्डारण एवं रिफिलिंग कार्य हेतु उसके पास वैध प्राधिकरण–पत्र/लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 16-03-2020 को की गई कार्यवाही विधिसम्मत थी तथा जप्त की गई सामग्री एल.पी.जी. (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उल्लंघन में पाई गई। गैरसरायल/अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने अपने पक्ष में कोई प्रतिवाद या वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए।

मैंने प्रार्थना पत्र, जप्ती से संबंधित अभिलेख, जांच रिपोर्ट, मौके पर लिए गए कथन तथा विभागीय प्रतिनिधि की दलीलों का अवलोकन किया। उपलब्ध अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि गैरसरायल/अप्रार्थी द्वारा बिना वैध अनुमति/लाइसेंस के घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण एवं रिफिलिंग की जा रही थी। यह कृत्य एल.पी.जी. (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अधीन दण्डनीय/कार्यवाही योग्य है। फलतः प्रकरण में जप्त सामग्री को राजसात किया जाना न्यायोचित है।

अतः, उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेखीय सामग्री के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक, खैरथल–तिजारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है।

आदेश

1. प्रकरण में जप्त 40 कमर्शियल गैस सिलेण्डर, 17 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 गैस रिफिलिंग मशीनें राज्य सरकार के पक्ष में राजसात की जाती हैं।
2. सुरक्षा की दृष्टि से गैस सिलेण्डरों को एन.एस.आर. इण्डेन गैस एजेन्सी/अधिकृत अभिकर्ता के सुपुर्द किया जाना यथावत उचित माना जाता है।
3. विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राजसात की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की जाए तथा आदेश की पालना रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत की जाए।
4. निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित जिला रसद अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
5. पत्रावली नियमानुसार दफ्तरी कर अभिलेखागार में भेजी जाए।

निर्णय आज दिनांक 09-04-2026 को खुले न्यायालय मे घोषित किया गया

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा